>

Title: Need to expedite account settlements of customers of Urban Co-operative Bank, Bikaner, Rajasthan.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र में बैंकिंग नियमों के तहत अनुमति प्राप्त करके एक अरबन को-आपरेटिव बैंक की लगभग 30 वर्ष पूर्व स्थापना हुई थी । बीकानेर के नागरिकों ने यह जानकार कि यह बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लाइसेंस नीति के तहत स्थापित हुआ तथा नाबार्ड इसे पुनर्वित्त उपलब्ध करवाता है अतः यह बैंक सरकारी या सरकार के नियंत्रण में होगा, अपने खाते भी खुलवाये और अपनी मेहनत से कमाई राशि में से बचत करते हुए इस अरबन को-ऑपरेटिव बैंक में जमा भी करवाया । बीकानेर के नागरिकों के पास बैंक की रसीदें भी हैं, लेकिन नागरिक जो बैंक के ग्राहक हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है क्योंकि बैंक लिक्विडेशन के कारण बंद हो चुका है । बैंक के कर्मचारी साल भर से भी अधिक समय से हड़ताल पर हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है । इधर ग्राहकों के जमा पैसे जमाकर्ताओं को नहीं मिल रहे हैं । बैंक अभी लिक्विडेशन में है, राजस्थान सरकार का सहकारी विभाग इसकी जांच कर रहा है । मेरे द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को भी इस संबंध में पत्र लिखे गये हैं , लेकिन वित्त मंत्रालय से सिर्फ इतना ही जवाब आता है कि हम मामले को दिखवा रहे हैं । मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से यह मांग करता हूँ कि बीकानेर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक के प्रकरण में वित्त मंत्रालय हस्तक्षेप करे । ग्राहकों की जमा राशि वापस लौटाने की कोई योजना बनाये और राज्य सरकार को निर्देशित करे कि अरबन को-ऑपरेटिव बैंक बीकानेर के विवादित प्रकरण का समय सीमा में निस्तारण करे जिससे भविष्य में किसी बैंक ग्राहक के साथ छलावा नहीं हो सके और उसकी मेहनत की कमाई व्यर्थ में नहीं जा सके ।